भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2381
दिनांक 09 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

विषय:- पशु आश्रय गृह

2381. श्री अरविंद धर्मापुरी:
श्रीमती मीनाक्षी लेखी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़कों पर अदावाकृत और आवारा गायों, बैलों आदि जैसे, मवेशियों को आश्रय या संरक्षण प्रदान करने के लिए व्यवस्था की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की देश में निराश्रित मवेशियों के लिए आश्रय गृह बनाने की मंशा है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 246(3), सातवीं अनुसूची की सूची-II के अनुसार पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण तथा सुधार और जीव-जन्तुओं के रोगों का निवारण; पशुचिकित्सा प्रशिक्षण एवं व्यवसाय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर या सातवीं अनुसूची की सूची-II में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में तत्संबंधी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्तियां राज्य के पास हैं।

भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार, राज्य, पंचायतों को गोपशु अहातों (कांजी गृह)/गौशाला आश्रय गृहों (सामुदायिक संपत्ति) की स्थापना करने और संचालन करने में सक्षम बनायेंगे। कई राज्य आवारा गोपशु के नियंत्रण के लिए गौशालाओं और आश्रय गृहों की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए, आवारा पशुओं का नियंत्रण करना स्थानीय निकायों की ज़िम्मेदारी है। कई राज्य सरकारों ने बेघर आवारा पशुओं के लिए पशु आश्रय बनाए है।

तथापि, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड भी पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृहों की स्थापना हेतु आश्रय गृह योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य देश में संकटग्रस्त पशुओं के लिए आश्रयगृहों की स्थापना और उनका रखरखाव करना है। कई राज्य भी गौशालाओं को आहार, चारे और पशु चिकित्सा देखभाल संबंधी प्रोत्साहन देकर आवारा गोपशुओं के नियंत्रण के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रहे हैं।

*****